RTE
शिक्षा का अधिकार
ऑनलाइन लॉट्री यूसर मैनुअल

1. ऑनलाइन लॉट्री करने के लिए सर्वप्रथम नीचे दिये RTE पोर्टल के लिंक पर क्लिक करें और RTE पोर्टल खोलें। http://eduportal.cg.nic.in/RTE/

2. तत्पश्च्यात लॉगिन ऑप्शन से **"नोडल लॉगिन"** मे क्लिक करें।

3. नोडल अपने यूसर आई डी एवं पासवर्ड डाले एवं **“लॉगिन करें”** बटन से लॉगिन करें।

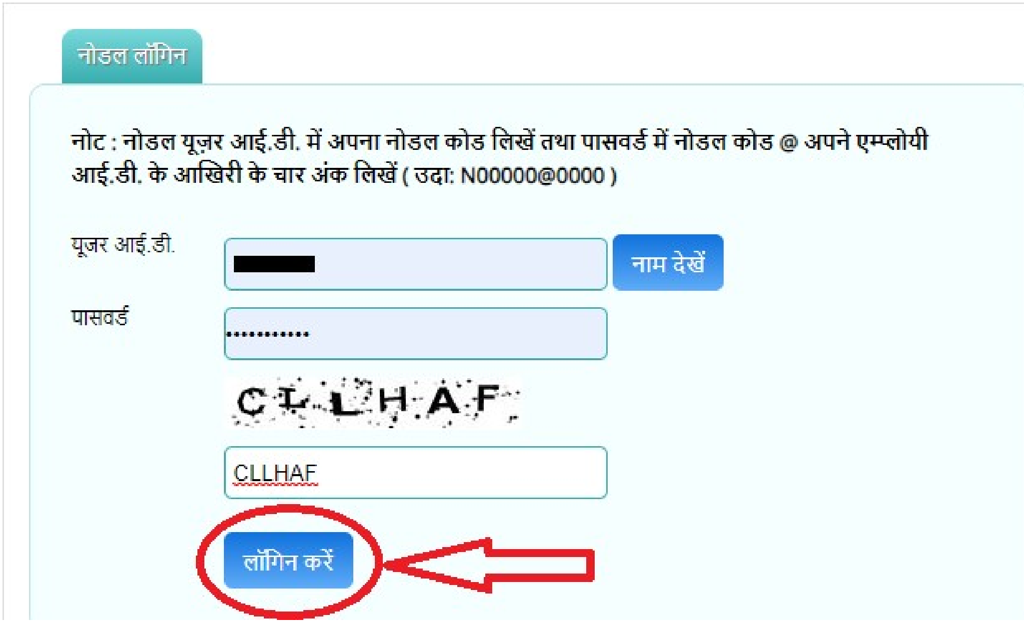

4. तत्पश्यात **“लॉटरी की प्रक्रिया”** मे **“ऑनलाइन लॉटरी”** मैनु का चयन करें।

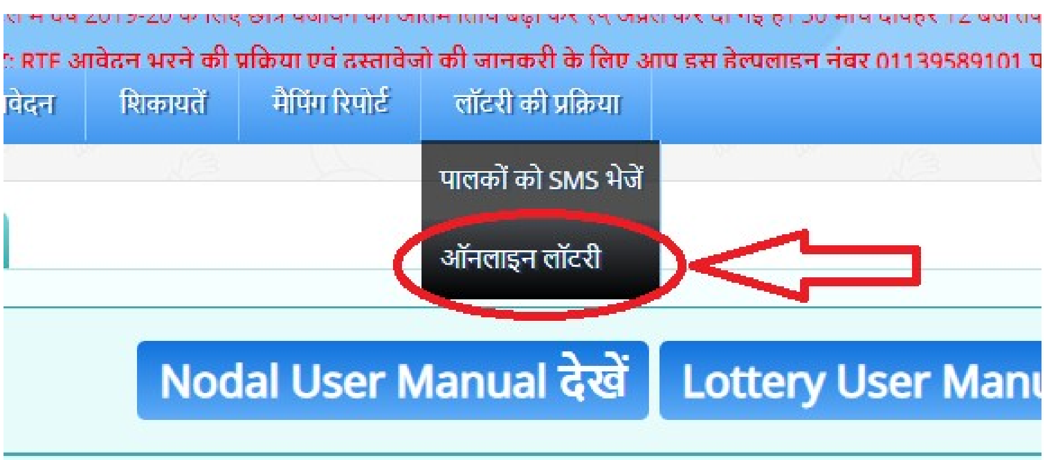

5. **“ऑनलाइन लॉटरी”** मेनू पे क्लिक करने के बाद, नीचे दिये चित्र अनुसार एक पेज खुलेगा जिसमे नोडल के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल की लिस्ट ड्रॉपडाउन लिस्ट मे दिखाई देंगी।

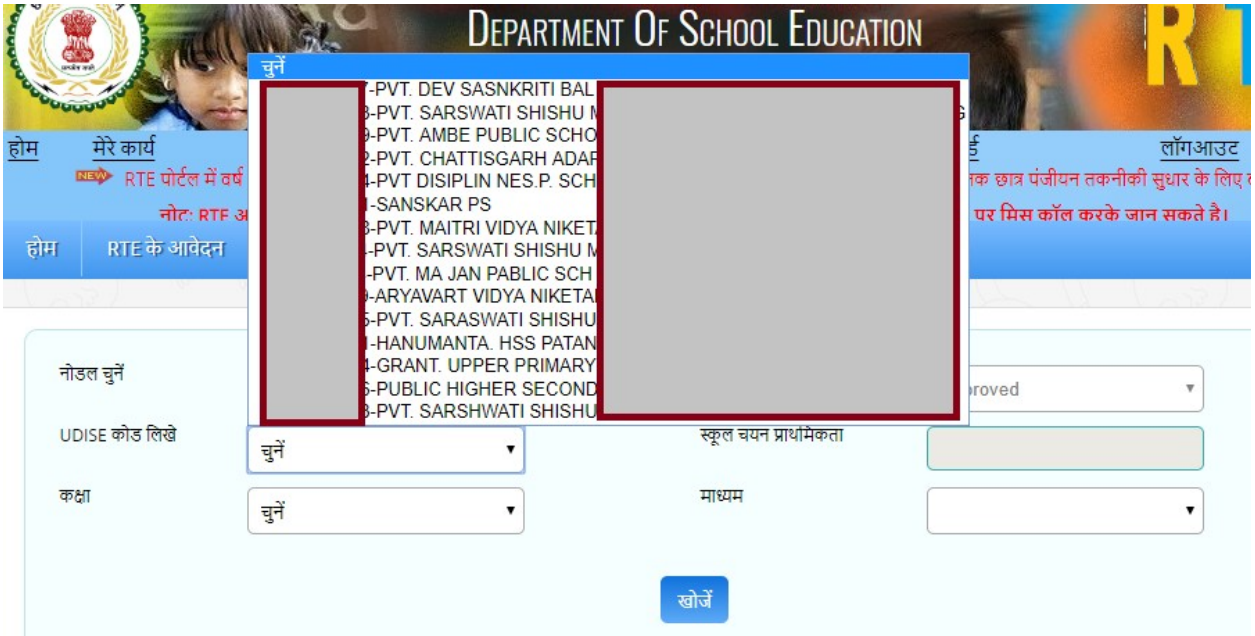

6. जिस स्कूल में आबंटन करना हैं उस स्कूल का चयन करने पर चयनित स्कूल की एंट्री क्लास, RTE सीट्स, कुल प्राप्त आवेदन एवं माध्यम की जानकारी दिखाई देने लगेंगी।

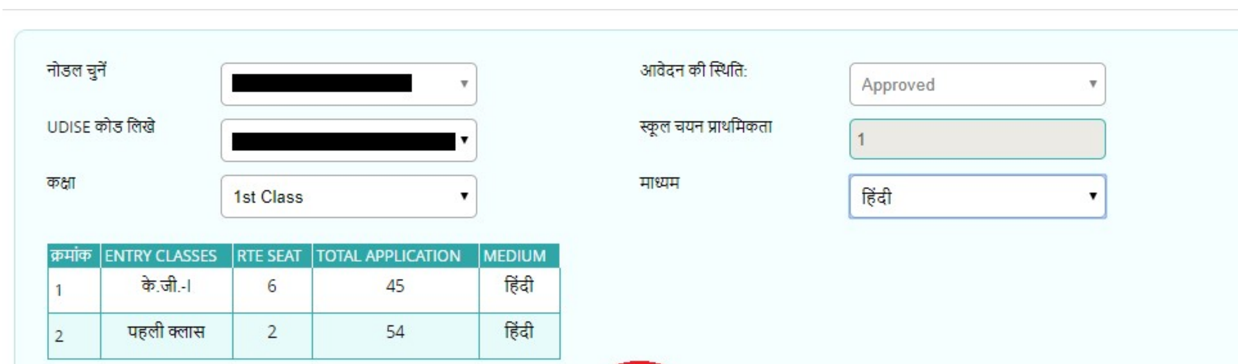

क्रमांक	ENTRY CLASSES	RTE SEAT	TOTAL APPLICATION	MEDIUM
1	के.जी.-I	6	45	हिंदी
2	पहली क्लास	2	54	हिंदी

7. यदि माध्यम केवल हिंदी या केवल इंग्लिश हैं तो नोडल को माध्यम चयन करने की आवशयकता नहीं हैं।

8. यदि माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं तो नोडल अधिकारी ड्रॉपडाउन लिस्ट से एक एक कर माध्यम का चयन कर कें लॉट्री करनी हैं।

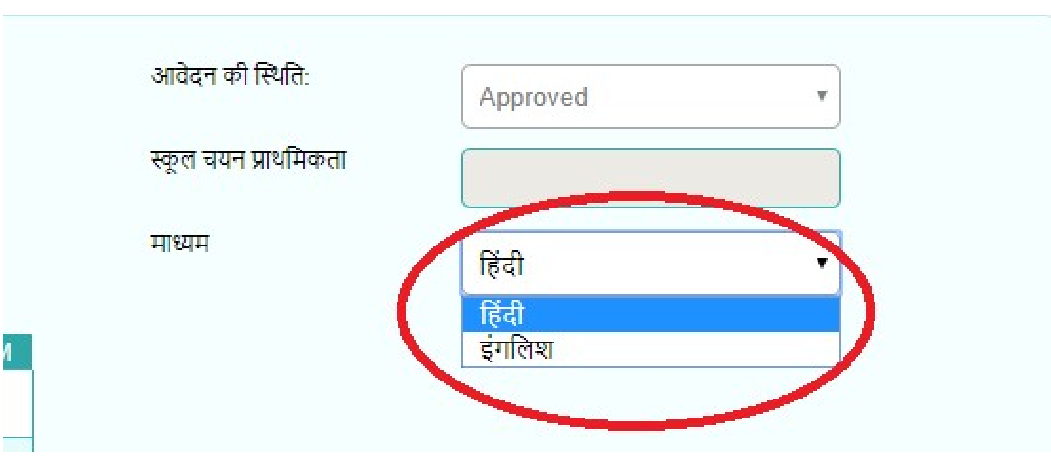

9. यदि माध्यम "हिंदी एवं इंग्लिश" हैं, तो नोडल अधिकारी को स्वयं चयन करना होगा की वें किस माध्यम में प्रथम प्रवेश देना चाहते हैं, इसके लिए चित्र अनुसार किसी एक माध्यम का चयन रेडियो बटन से कर सकते है।

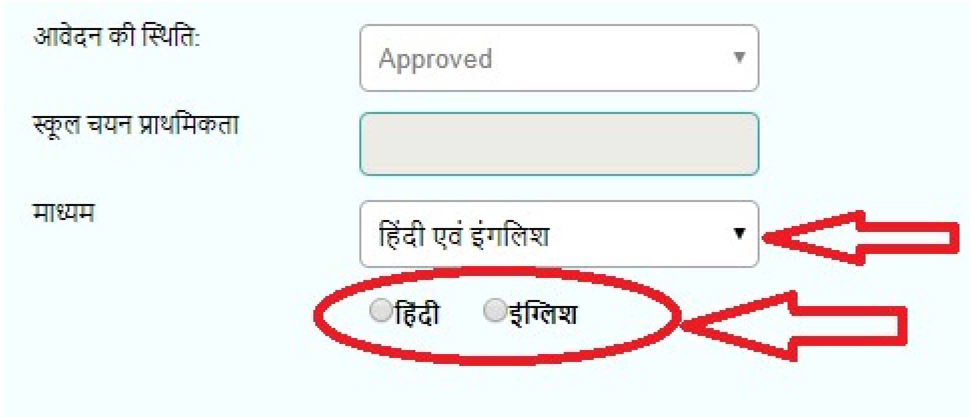

10. यदि चयनित स्कूल की दो एंट्री क्लास हैं, तो आबंटन का कार्य एक एक करके करना होगा।

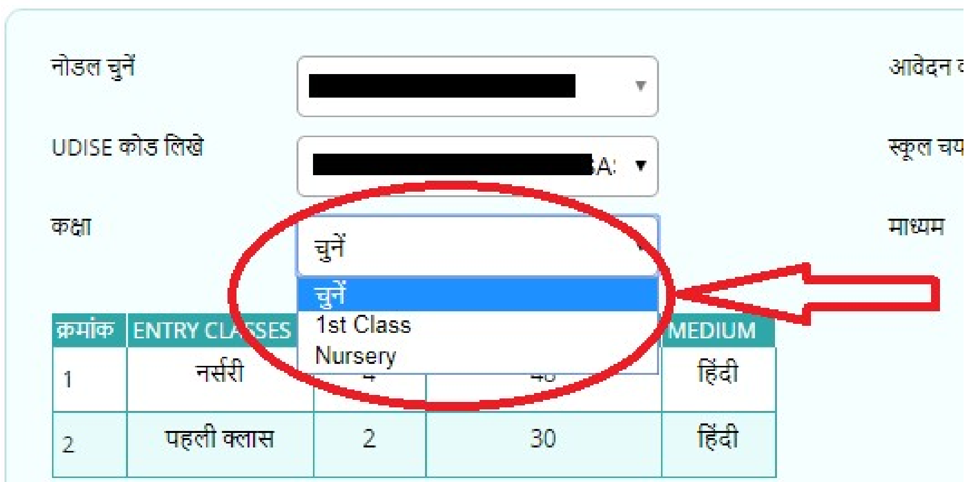

11. क्लास का चयन करने के पश्चात "स्कूल चयन प्राथमिकता" दिखाई देने लगेंगी।

12. तत्पश्चात **"खोजे"** बटन पर क्लिक करें।

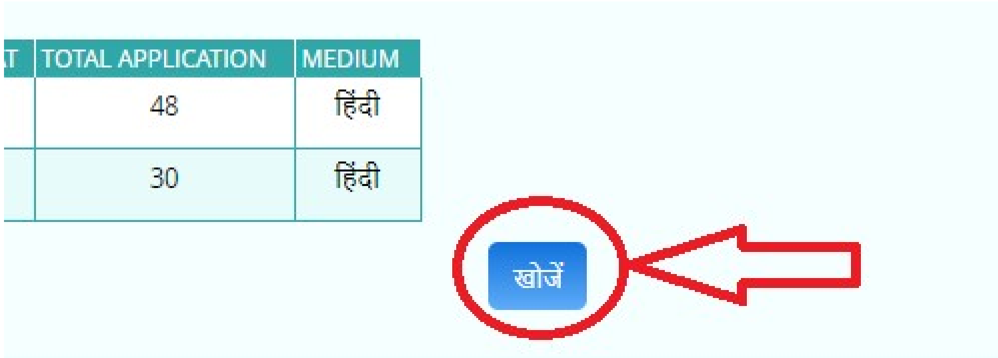

T	TOTAL APPLICATION	MEDIUM
	48	हिंदी
	30	हिंदी

13. **"खोजे"** बटन पर क्लिक करने के बाद चयनित स्कूल की चयनित कक्षा के अनुसार प्राप्त आवेदनों की सूचि दिखाई देने लगेंगी।

जिन आवेदन में लाटरी की आवश्यकता नहीं है!

क्रमांक	APPLICATION ID	YEAR	STUDENT NAME	DOB	MOBILE NO	FATHER_NAME	NNN	PANCHAYAT	PREFERENCE
1	RTE2019000[redacted]	2019-20	[redacted]	1/29/2014 12:00:00 AM	[redacted]	[redacted]	[redacted]		1

14. यदि निर्धारित RTE सीट्स से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं तो, लॉटरी की आवश्कता नहीं है, नींचे दिए गए **" लॉटरी निकाले"** बटन क्लिक करने पर लिस्ट में दिखने वाले आवेदनों का चयन सीधे चयनित स्कूल में हो जायेंगा।

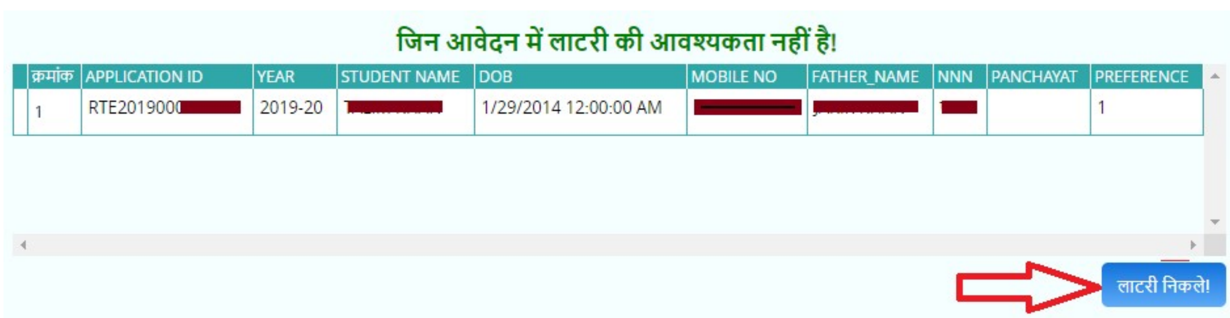

जिन आवेदन में लाटरी की आवश्यकता नहीं है!

क्रमांक	APPLICATION ID	YEAR	STUDENT NAME	DOB	MOBILE NO	FATHER_NAME	NNN	PANCHAYAT	PREFERENCE
1	RTE2019000[redacted]	2019-20	[redacted]	1/29/2014 12:00:00 AM	[redacted]	[redacted]	[redacted]		1

15. यदि निर्धारित RTE सीट्स से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं तो, लॉटरी की आवश्कता है।

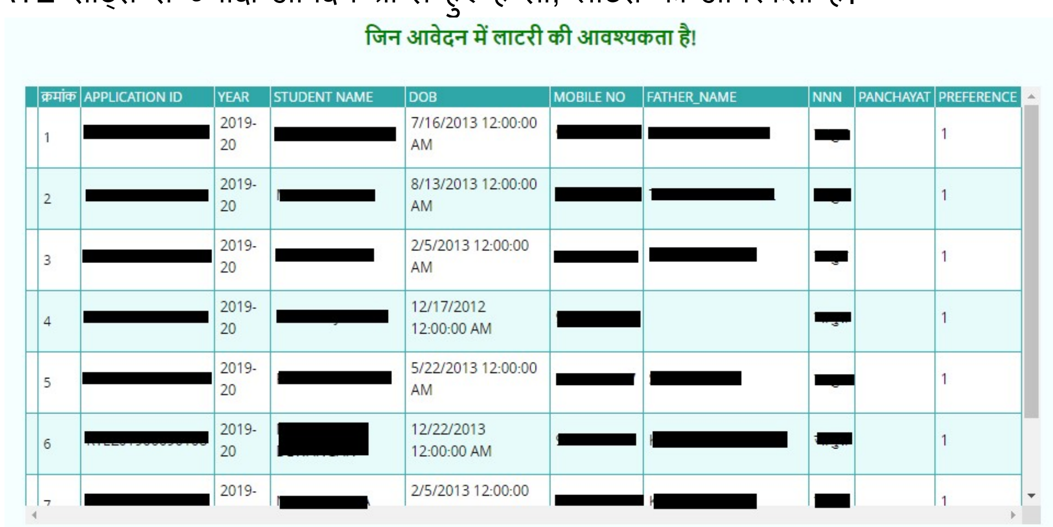

जिन आवेदन में लाटरी की आवश्यकता है!

क्रमांक	APPLICATION ID	YEAR	STUDENT NAME	DOB	MOBILE NO	FATHER_NAME	NNN	PANCHAYAT	PREFERENCE
1	[redacted]	2019-20	[redacted]	7/16/2013 12:00:00 AM	[redacted]	[redacted]	[redacted]		1
2	[redacted]	2019-20	[redacted]	8/13/2013 12:00:00 AM	[redacted]	[redacted]	[redacted]		1
3	[redacted]	2019-20	[redacted]	2/5/2013 12:00:00 AM	[redacted]	[redacted]	[redacted]		1
4	[redacted]	2019-20	[redacted]	12/17/2012 12:00:00 AM	[redacted]		[redacted]		1
5	[redacted]	2019-20	[redacted]	5/22/2013 12:00:00 AM	[redacted]	[redacted]	[redacted]		1
6	[redacted]	2019-20	[redacted]	12/22/2013 12:00:00 AM	[redacted]	[redacted]	[redacted]		1
7	[redacted]	2019-	[redacted]	2/5/2013 12:00:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]		1

16. नींचे दिए गए **चेक बॉक्स** (लॉक करें) पर क्लिक करने के पश्चात **"लॉटरी निकाले"** बटन क्लिक करने पर लिस्ट में दिखने वाले आवेदनों का चयन चयनित स्कूल में हो जायेंगा।

नोट - लॉटरी के समय पालको को यह न लगे की लॉटरी पहले से फिक्स हैं इसलिए चेक बॉक्स पर बिना क्लिक किये आप **"लॉटरी निकाले"** बटन पर क्लिक कर के उनको उदहारण स्वरुप चयनित बच्चों की सूचि ४-५ बार दिखा सकते हैं। **इस बात का अवश्य ध्यान रखे की उदहारण दिखाते समय चेक बॉक्स टिक न हो अन्यथा बच्चो का ALLOTMENT हो जायेंगा।**

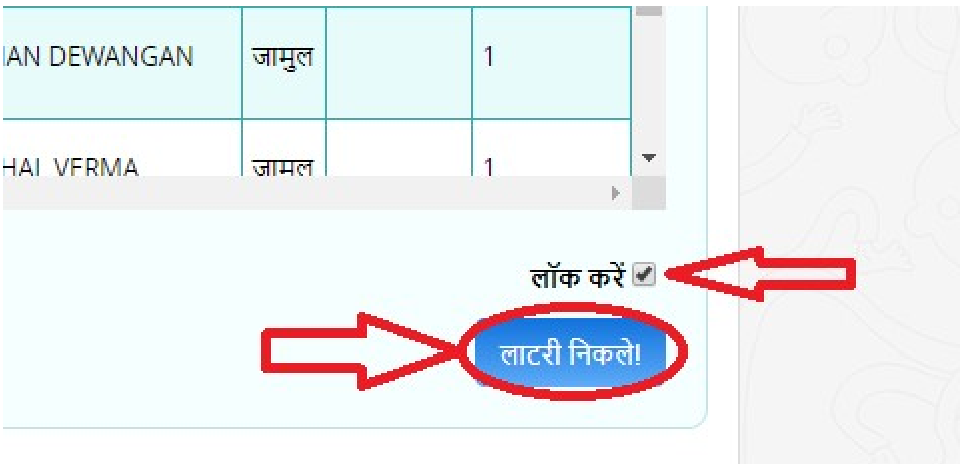

ध्यान देने योग्य बातें:

- RTE पोर्टल में वर्ष 2019-20 के लिए छात्र पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ा कर १५ अप्रैल कर दी गई हैं।
- सत्र २०१९ - २०२० के RTE एडमिशन लॉट्री द्वारा किये जायेंगे इसीलिए दस्तावेज का सत्यापन नोडल ऑफिसर द्वारा लॉट्री के पूर्व की जावें|
- जॉच के पश्चात आवेदन की स्तिथि नोडल अधिकारी पोर्टल पर बदलें|
- केवल पूर्ण APPROVED आवेदन ही स्कूल allotment के लिए मान्य होंगे
- नोडल ऑफिसर ३० अप्रैल के बाद, आवेदन में संसोधन और स्तिथि नहीं बदल सकते|
- सभी जिलें अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता का प्रचार प्रसार करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा आवेदन भरें जा सकें|
- ऑनलाइन लॉटरी करने के बाद आपको अलग से आवेदनों को Allotment by Lottery, Allotment by Default या No Allotment करने की आवश्यकता नहीं है।